फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

आज्ञा / तालीकी

केस संख्या : 17/2023 (T-F)

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28-10-2024	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी 1, 2, 5 आज भी अनुपस्थित हैं अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:36:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः अंजू वर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 17/2023

आशा देवी पुत्री चौथूराम जाति मीणा निवासी ग्र्राम बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

...........प्रार्थीया

बनाम

1. लालीदेवी पुत्री चौथूराम
2. जमना देवी पुत्री चौथूराम
3. नन्दाराम पुत्र चौथूराम
4. बिरदीचन्द पुत्र भूरा
5. बिरदी देवी पुत्री चौथूराम
6. रामपाल पुत्र चौथूराम
7. ललिता पुत्री चौथूराम
8. शंकर पुत्र चौथूराम
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. रामगोपाल पुत्र प्रभात जाति मीणा निवासी ग्राम कुशलपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
11. उप पंजीयक तहसील आमेर, जिला जयपुर

........अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 28.10.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय के समक्ष सच्चे, सुदृढ व ठोस आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है । राजस्व ग्राम बैनाडमयदौलतपुरा, पटवार क्षेत्र नांगल सिरस, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 68 पुराना 66 के खसरा नम्बर 637 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा [illegible]38 रकबा 0.7000 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.9800 हैक्टेयर में प्रार्थीया का हिस्सा 3/98 निहित है तथा शेष हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज व अंकित चला आ रहा हैं। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2074–2077 में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज है और राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से

Signature Not Verified
Digitally Signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:36:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त निरन्तर चलें आ रहें है और अपने–अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करतें आ रहें हैं । उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थीया एंव अप्रार्थीगण के मध्य विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं । यह कि अब अप्रार्थीगण की नियत में खोट आ गई है और वे विवांदित भूमि का बिना विधिक विभाजन करवाये बिना ही संयुक्त खातेदारी की विवादित भूमि के विशेष भू–भाग पर कब्जा करके पुख्ता पक्का निर्माण करने पर उतारू है अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिवत अप्रार्थीगण की तलवी की गई बावजूद अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 की एकपक्षीयक कार्यवाही की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार विवादित आराजी का बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। जब सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है तो अप्रार्थीगण को ऐसी स्थिति मे भी पाबंद किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थी को अपना वाद अभी साबित करना शेष है प्रार्थी ने यह भी साबित नहीं किया है कि अप्रार्थीगण सम्पूर्ण भूमि पर निर्माण कर रहे हो। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:36:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर